इनकम टैक्स में टैक्स डिडक्शन - सीए ओंकार कुलकर्णी।

भारत जैसे विशाल देश में 'कर संग्रह' यह एक कठिन कार्य है जिसे बहुत सुचारु रुप से करने की जरुरत है। हमारे यहा सरकार द्वारा दो प्रकार के कर लिए जाते हैं - एक प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। आज देश में प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) यह हमसे इनकम टैक्स के रुप में लिया जाता है जब कि अप्रत्यक्ष कर (इनडायरेक्ट टैक्स) यह मुख्य रुप से GST के रुप में हमसे लिया जाता है।

एक वर्ष के आयकर का भुगतान वास्तव में उस वित्तीय वर्ष (फायनान्शियल ईयर) के अंत में उसके निर्धारण वर्ष (असेसमेन्ट ईयर) में आयकर विवरणपत्र (इनकम टैक्स रिटर्न) दाखिल करते समय किया जा सकता है। लेकिन अगर हर कोई ऐसा ही करेगा तो सरकार को देश चलाने के लिए एडवांस (अग्रिम) रुप में पैसा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए ही आयकर विभाग ने हमसे एडवांस (अग्रीम) तरीके से टैक्स वसूल करने के लिए अग्रीम कर (Advance Tax), TDS और TCS के प्रावधानों को लागू किया है। तो तो आज के इस लेख में उसमें से TDS के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।

आपको मिलने वाली विभिन्न प्रकार की आय के स्रोत पर ही आपको आय देने वाले व्यक्ति द्वारा उस आय से TDS के रुप में आयकर काटा जाता है और वह राशि सीधे सरकार को जमा कर दी जाती है। इस में सबसे पहले यह देखते हैं कि कौन यह TDS वास्तव में काट सकता है और उसका भुगतान कर सकता है:-

१. व्यक्तिगत करदाता (Indivisual Taxpayer) या हिंदू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family - HUF): व्यक्तिगत करदाताओं या HUF करदाताओं के मामले में, यदि पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर अधिनियम की धारा 44AB के तहत उनका ऑडिट किया गया हो तो उन्हे चालू वर्ष में TDS कटौती के नियम लागू होते हैं। उन्होने अपने व्यवसाय से होने वाले खर्चों के संबंध में लागू धारा की सीमा को देखकरकी सीमा को देखकर उचित प्रतिशत से कर काटना होता है और उसके बाद ही खर्चे की राशि सामनेवाले व्यक्ति को देनी होती है। यहां एक अपवाद है - यदि कोई व्यक्तिगत करदाता या HUF करदाता किराए का भुगतान कर रहा हो और उसकी राशि प्रती माह रु. 50,000/- से अधिक हो तो ऐसे सभी व्यक्तिगत या HUF करदाताओं को अगर पिछले वित्तीय वर्ष में कोई टैक्स ऑडिट लागू न भी हुआ हो तो भी उन्हे 5% TDS काट कर किराये की राशि का भुगतान करना है।

२. पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी: इन प्रकार के सभी करदाताओं को उनकी स्थापना (Incorporation) से ही TDS कटौती के नियम लागू होते हैं। उन्हे पहले दिन से ही सभी खर्चों पर TDS के नियमों का पालन करना होगा।
यह काटा गया TDS जिस महीने में काटा गया है (मार्च महिने को छोड़कर) उसके अगले महीने की 7 तारीख तक सरकारी खातें में जमा करना है। केवल मार्च महीने के लिए हि भुगतान की तारीख 30 अप्रैल है। यदि उपरोक्त समय के अंदर TDS का भुगतान नहीं किया जाता है, तो कटौती किए गए महीने से TDS की राशि पर प्रति माह 1.5% के दर से ब्याज का भुगतान करना होता है।

अब हम देखते हैं कि हमारे कारोबार में दिन-प्रतिदिन के व्यवहारों में लागू होनेवाली विभिन्न धाराओं के तहत TDS कटौती की सीमाएं क्या है और कटौती का प्रतिशत क्या है :

Section	Nature of Payment	Threshold Limit (Rs.)	TDS Rates
192	Salaries	Basic exemption limit of employee	Normal Slab Rates

192A	Premature withdrawal from EPF	50,000	10%
193	Interest on securities	10,000	10%
194	Dividends	5,000	10%
194A	Interest other than interest from securities (from deposits with banks/post office/co-operative banks)	40,000	10%
194A	Interest other than interest from securities (Any other person)	5,000	10%
194B	Income from lottery winnings, card games, crossword puzzles, and other games of any type	10,000	30%
194BA	Income from online games	Nil	30%
194BB	Income from horse race winnings	10,000	30%
194C	Payment to contractor/sub-contractor:-	Single transaction-30,000 Aggregate transactions-1,00,000	
	- Individual/HUF		1%
	- Others		2%
194D	Insurance commission:-		0%
	- Other than Domestic Company	15,000	5%
	- Domestic Company	15,000	10%
194DA	Income for the insurance pay-out, while payment of any sum in respect of a life insurance policy.	1,00,000	5%
194EE	Payment of amount standing to the credit of a person under National Savings Scheme (NSS)	2,500	10%
194F	Payment for the repurchase of the unit by Unit Trust of India (UTI) or a Mutual Fund	Nil	20%
194G	Payments, commission, etc., on the sale of lottery tickets	15,000	5%

194H	Commission/Brokerage	15,000	5%
194I	Rent:-		
194-I(a)	Rent on plant and machinery	2,40,000	2%
194-I(b)	Rent on land/building/furniture/fitting	2,40,000	2%
194IA	Transfer of certain immovable property other than agriculture land	50,00,000	1%
194IB	Rent payment by an individual or HUF not covered u/s. 194-I	50,000 per month	5%
194IC	Payment under Joint Development Agreements to Individual/HUF	Nil	10%
194J	Professional / Technical Fees	30,000	10% / 2%
194K	Payment of any income for units of a mutual fund, for example, dividend	Nil	10%
194N	Cash withdrawal exceeding a certain amount	1 crore	2%
194N	Cash withdrawal in case person not filing ITR for last three years and the original ITR filing due date expired	- 20 lakh to 1 crore	2%
		- Above 1 crore	5%
194-Q	Payment for purchase of goods of the aggregate value exceeding Rs. 50 lakhs Note: TDS is deductible on sum exceeding Rs. 50 lakhs	50 lakh	0.1%

उपर बताए अनुसार काटे गए TDS की जानकारी हमें तिमाही विवरण पत्र (Quarterly Return) के जरिए सरकार को देनी होती है। हर तिमाही के अंत के बाद, अगले महीने के अंत तक यह विवरण पत्र (Return) दाखिल किया जाना चाहिए। यदि यह विवरण पत्र (Return) दिए हुए समय के भीतर दाखिल नहीं किया जाता है, तो प्रतिदिन रु. 200/- के हिसाब से होने वाली रकम विलंब शुल्क के रुप में देनी होती है।

किसी खर्चे के मामले में अगर TDS की कटौती नही की तो धारा 40(a)(ia) के तहत संबंधित खर्चे के 30% रकम आपकी आय से कटौती के रुप में अपात्र की जाती है।

TDS से संबंधित उपर संक्षेप में चर्चा किए गए सभी नियमों का पालन करें। इसके साथ हि समय समय पर अपने चार्टर्ड एकाउंटेंट (CA) से सलाह मशवरा करते हुए TDS कटौती, उसका समय पर भुगतान और सही समय पर उसका विवरण पत्र दाखल करें।